:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– ...10/22

–:आदेशः–

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी न.ब.ब.ग्राम व भू.अ.नि. डूंगरसार्थ .....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चिखली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम न.ब.ब.ग्राम तहसील चिखली जिला डूंगरपुर की जमाबन्दी संवत 2075-2078 में खाता संख्या 471 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	न.ब. बड़ाग्राम	471	वालसन पुत्र मंजु मीणा	वालचन्द पुत्र मनु मीणा

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर
दिनांक 01/04/22

क्रमांकः– 663-65

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार चिखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री वालचन्द पुत्र मनु मीणा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर